1

(1)

पंचायती राज — ~~प्रशासन और राजनीति~~

भारत जैसे प्रजातांत्रिक तथा प्रभुता सम्पन्न देश में प्रशासन जन-सामान्य के प्रति उत्तरदायी है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि प्रशासन को प्रभावित करते हैं। प्रारम्भ में लोकप्रिय संस्थायें केवल राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों तक सीमित थी। राज्य स्तर के नीचे प्रशासनिक तंत्र स्थानीय स्तर की ~~[illegible]~~ स सलाहकार समितियों की [illegible] स्थानीय विकास के लिए कार्य करता था। राज्य के अनुरूप स्थानीय [illegible] प्रेरक का, परिस्थिति- निर्देशों यह प्रशासनिक तंत्र संरचना-परक विकेन्द्रीकरण से राज्य के नीचे पारक था। प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण से संस्थाओं का विभिन्न स्तरों पर लोकप्रिय और प्रतिनिधिक विकास तंत्र का निर्माण हुआ और विकास व सामुदायिक [illegible] इसका प्रचलन कर दिया गया। प्रजातांत्रिक दृष्टि से यह उल्लेखनीय प्रगति थी। इन ~~[illegible]~~ संस्थाओं को वास्तविक शक्तियाँ दी गई। राजनीति और प्रशासन लोकनीतियों का निर्णय व कार्यवाही के परिणाम पूर्व कार्यान्वयन के बीच परस्पर द्वन्द्व का समन्वय किस सीमा तक ~~[illegible]~~ है। इसलिए नीति का राजनीतिक पक्ष दर्शाता है। प्रशासन होने लगा। ~~होता है~~ इस बात पर निर्भर है कि राजनीतिक ~~[illegible]~~ निर्णय कार्यवाही को ~~[illegible]~~ के लिए युक्तिसंगत, प्रशासनिक पक्ष को परस्पर संबंधों को जागृति के रहे और व राजनीति के परस्पर राजनीतिक जागरूकता बनी रहे और सक्रिय प्रशासन तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापकता जिससे तंत्र को कोई बनाना प्रबन्धन का इस प्रकार रहे। पारस्परिक ~~[illegible]~~ सम्बन्ध स्थापित किया गया। लोकनीतिक (सलाहकारों) को हानि नहीं ~~[illegible]~~ व विशेष अधिकारियों (सलाहकारों) के संचालन अधिकारियों व विशेष अधिकारियों में रखा गया। प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारी, गैर अधिकारी से निश्चय ही बाहर विशेषज्ञों के लिए गैर अधिकारी पक्षों से मदद मिली। इस प्रकार जनप्रतिनिधि व पर्यवेक्षकों का। इस महान परिवर्तन से अधिकारियों का प्रशासकीय को एक दूसरे के प्रति दोनों पक्षों को रवैये में परिवर्तन हुआ। जनता के प्रति उनके परस्पर प्रजातांत्रिक तथा जनता की साझेदारी की ओर और संस्थाओं को प्रशासनिक अधिकारियों की सहानुभूतिपूर्ण हो गया। प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशासनिक कुशलता और श्रेष्ठता की भावना, अधिकारियों को समझने लगा। हीनता और पूर्वाग्रह के कारण तथा एक दूसरे के प्रति प्रजातांत्रिक दूरी कम हुई।

— 2

(2)

राज्य स्तर के राजनीतिज्ञ इस बात को ध्यान में रखते
हुए कि पंचायत राज संस्थाओं से उन्हें भावी निर्वाचन
में अधिक मत बटोरने में सहायता मिलेगी, इन संस्थाओं
में अपना प्रभावक्षेत्र स्थापित करने के उत्सुक रहते हैं,
प्रशासनिक क्षेत्र में सभी स्तरों पर राजनीतिक हस्तक्षेप की
मात्रा बढ़ती जा रही है। इससे प्रशासनिक कार्यकुशलता को
हानि पहुँचती है। इन संस्थाओं की विकासात्मक प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ता है।
प्रजातांत्रिक निकायों की राजनीतिक प्रकृति व शासित
बंटोरने की प्रवृत्ति के कारण कार्यकुशलता पर विपरीत
प्रभाव पड़ता है। गैर सरकारी नेताओं की भावनाओं
के प्रभाव कार्यक्षेत्र पर अनुचित कार्य क्षेत्र तथा विकास
प्रकृति का उल्लंघन होता है।

लोकतंत्र एवं पंचायत राज संस्थाओं से जुड़ा
रहा है। यह स्पष्ट है कि नियोजन, पर्यवेक्षण,
समन्वय व प्रशासनिक कुशलता आदि प्रशासनिक
समस्याओं में पदाधिकारियों और गैर-पदाधिकारियों के
पारस्परिक सम्बन्धों की समस्या सबसे बड़ी है और
क्रियात्मक कार्यक्रम के बहुत कार्यान्वयन के
लिए दोनों के बीच मधुर सम्बन्ध होना अत्यन्त
महत्वपूर्ण है। विकास विभागों के भिन्न भिन्न
प्रकार के पदाधिकारी-कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर होते
हैं तथा उन्हें मूल पदाधिकारियों के नियन्त्रण में,
रखना पड़ता है। समस्या है कि नियम, विनियमों
की उपेक्षा, पदाधिकारियों की लालफीताशाही की प्रवृत्ति
भी प्रत्यक्ष महत्व रखती है। गैर सरकारी नेताओं
के राजनीतिक स्वरूप, निकायों का राजनीतिक
गठन, ऐसे परिस्थिति सम्बन्धी कारक हैं जिससे
प्रशासन के विधिमान्य-कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप और
होता है।
यह स्वाभाविक है इन निकायों के मंत्रियों के
सरकारी नेताओं का राजस्व के पक्ष में होता है। इसलिए कार्य
में व्यक्तिगत सम्बन्ध होता है। प्रशासनिक
कार्यकारी निष्पादन तथा कार्यवाही प्रक्रिया की स्थिति नाजुक
प्रकार लगाकर विकास प्रक्रिया की
होती है। -3

(3) और व हथियार डाल देते हैं। अतः जिला विकास अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी गलत कार्य करने वाली पंचायतों के विरुद्ध कोई प्रशासनिक ~~प्रशासनिक~~ कार्यवाही नहीं कर पाते। प्रजातांत्रिक निकायों के राजनीतिक गठन से प्रशासनिक पक्ष की स्वायत्तता का निःसंदेह उल्लंघन होता है, प्रशासनिक कार्यकुशलता को हानि पहुंचती है। वरिष्ठ अधिकारी ग्रामसेवक आदि राजनीतिज्ञों के अधिक निकट रहते हैं। राजनीतिज्ञों को दिए गए महत्व, अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के नियमित व घनिष्ठ सम्पर्क प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करते हैं।

पंचायती राज ने परम्परागत वातावरण एवं परिस्थितियों को बिल्कुल बदल दिया, विकेन्द्रीकरण तथा निर्णय शक्तियां लोकतंत्र प्रशासन को अधिक प्रभावी बना दिया। अधिकारियों को राजनीतिक नेताओं की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, राजनीतिक नेता नीति सम्बन्धी व प्रशासन सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रिया में स्वयं निर्णय लेना चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारियों को केवल सहायक की भूमिका देने को तैयार हैं। वास्तव में जनता के लिए काम करना चाहते हैं। प्रशासनिक प्रबन्ध में कुशलता देशों में शोषण, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक असमानताएं हैं।

प्रारम्भिक काल में इन संस्थाओं में सफल समाजसेवी, प्रतिष्ठित सेवक चुनकर आये परन्तु बाद में जातिवाद, साम्प्रदायिकतावाद, और राजनीति के प्रवेश के साथ प्रभाव बढ़ गया। निष्पक्ष भ्रष्ट, धनबल, जन का प्रभाव चुनाव में हावी होने लगा। निष्ठावान के स्थान पर लोग निर्वाचित होकर आने लगे। प्रशासनिक तंत्र में सभी स्तरों पर राजनीतिक हस्तक्षेप की मात्रा अधिक बढ़ती गई है। ग्रामीण प्रशासन का मौलिक उद्देश्य प्रजातांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंच रही है। प्रशासनिक स्वायत्तता व प्रजातांत्रिक मिल रहा है,

प्रावधान प्रावधानों के शक्तियाँ विधानमण्डल द्वारा दी गईं

परन्तु विधि के अनुसार इन विषयों के कार्य निकाय (को) स्थानांतरित नहीं किए गये। जिस प्रकार संविधान में केन्द्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है उसी तरह इस सूची को स्थानीय शासन सूची के रूप में रखा जाना चाहिए।

संशोधन द्वारा वार्ड समितियों का गठन सम्बन्धी प्रावधान अत्यन्त महत्वपूर्ण है परन्तु विधि के अनुसार वार्ड समितियों का गठन नहीं हुआ, इनका क्षेत्राधिकार व प्रावधान शक्तियाँ भी निर्धारित नहीं की गई।

राज्य विधानमण्डलों ने पर्याप्त प्रावधान नहीं ते पुनः प्रावधान यह सुनिश्चित किया।

प्रत्येक नगर निकाय या पालिका में जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण किया गया। कुल सीटों के कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये। पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान कार्यकाल सम्बन्धी किया गया। नगर निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। विघटित नगर निकायों का भंग करने से पूर्व सुनवाई व 6 माह के भीतर पुनः चुनाव सम्पन्न कराने की व्यवस्था व अवधि समाप्त होने से पूर्व नये चुनाव सम्पन्न कराने की व्यवस्था की गई। सदस्यों की योग्यता या अयोग्यता, पदाधिकारियों के संदर्भ में, आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के निर्माण व कार्य एवं उनकी शक्ति व सत्ता के संदर्भ में, प्राधिकार व दायित्वों का निर्धारण विधानमण्डल पर छोड़ा गया। नगर निकायों को कर लगाने व राज्य की संचित निधि से अनुदान का प्रावधान की शक्तियाँ, कर तथा फीस जो ग्रहण करने का नगर निकायों को दिए जाने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।

संवैधानिक प्रावधान राज्यों ने राजस्व में निहित किया अतः राज्य की अनिच्छा से प्रावधान पूर्ण नहीं हो पाए व विधानमण्डल द्वारा पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया।

इस प्रावधान का महत्वपूर्ण पक्ष वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। जो कोई डयूटी, टोल टैक्स, एवं फीस इत्यादि से हुई आय का सरकार एवं नगर निकायों का उचित विभाजन करने वाले करों, डयूटी, टोल टैक्स और फीस, संचित निधि से अनुदान, आदि का निर्धारण करेगा।

सिद्धान्तों का निर्धारण, निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग को दिया गया।

नगर निकायों के चुनावों का पर्यवेक्षण व प्रबन्ध के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन तथा नगर निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के लिए जिला नियोजन समिति के गठन का प्रावधान किया गया।

राजनीतिक पार्टियों का नियंत्रण स्थानीय संस्थाओं पर होना आवश्यक है परन्तु यह नियंत्रण स्वायत्तता में बाधा न हो व स्थानीय संस्थाओं में गुटबाजी, नकारात्मक रवैया जिससे अधिकारियों की इच्छाशक्ति, उत्तरदायित्व, उत्साह और

शासकों का नागरिक और प्रशासनिक तीनों प्रकार का

इस से स्थानीय संस्थाओं पर विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक नियंत्रण का निर्धारण

नियन्त्रण रहा; राज्य विधान सभा नये नये नियमों का निर्माण कर सकती है | नियमों की व्याख्या

संशोधन, निरसन कर सकती है

संस्थाओं की निर्धारित करती है

करती है, नियमों की प्रशासनिक नियंत्रण करती है

नियंत्रण

प्रशा पद पर प्रशासनिक ..., नियुक्ति प्राप्त करना, ...

पदच्युति, निर्देश, समीक्षा, सहित पुरस्कार, ... सामान्यतया करती है

पार्षदों का हटाना, परिषद का ... नियंत्रण भी होता है

स्थानीय शासन या नियंत्रण रखती है; वार्षिक नियंत्रण ... नहीं / सफाई

संस्थाओं के निरीक्षण के लिए उचित स्थान नहीं ... सकती।

कार्मिकों से स्थानीय संस्थाओं की कमी से नहीं बचा सकती

प्रशासनिक के समान आवश्यक करती है

प्राथमिक सहायता पुरस्कार, जल प्रदाय, नाली सफाई,

प्राथमिक शिक्षा, ... प्रकाश, विकास, आदि

राजकीयों की सफाई, ...

के लिए दी जाती है।

राज्य सरकार
विधान मंडल
कार्मिक
वित्त
नियम नियंत्रण
...

राजस्थान में जागीरदारी प्रथा की समाप्ति, (4)
पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत के सहकारी
आन्दोलन जोर पकड़ा। प्रदेश के प्रमुख किसाननेता
चौधरी कुम्भाराम, श्री रामनिवास मिर्धा, श्रीमति
कमला बेनीवाल) आदि ने सुदृढ़ सहकारी संगठन स्थापित
शीर्ष कार्यवाही
किए और सहकारी आन्दोलन को गति दी। राज्य
सरकार ने स्वीकार किया सहकारी पद्धति एक
राष्ट्रीय आवश्यकता है। उपभोक्ताओं के लिए उत्तम
एवं उपयुक्त संगठन है। देश में प्रशिक्षण व
असंगठन के कारण किसानों व ग्रामीणों का शोषण।
का मुकाबला नहीं होता। नेहरू ने
प्रधानमंत्री जवाहरलाल सहकारी समिति को प्रजातंत्र
स्कूल, पंचायत व सहकारी स्वायत्ता, सहकारिता
के तीन स्तम्भ कहा था। एकता व समानता पर
का प्रमुख गुण है, स्वच्छता व विकेन्द्रीकरण
आधारित है। आर्थिक शक्ति का समितियों का
है। उधारी करने में तो सहकारी सहकारिता के इस
और इसका महत्व है। राज्य में प्रदेश कुल
महत्व को स्वीकार किया गया और पंजीकृत व कार्यरत है। सहकारी समितियां राष्ट्रीय स्तर तक
33443 सहकारी समितियां सहकारी सहकारिता एवं
समझ रही है

Attached
(सहकारिता)
5A

राजस्थान 14473

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से
यह [illegible] किया गया है कि सहकारी [illegible] राष्ट्रीय प्राथमिकता है,
प्रदेश में पहली बार वर्ष 2012-13 में शून्य

ब्याज दर पर फसली ऋण वितरण की शुरुआत
हुई थी। गत वर्ष 10 लाख नये सदस्य किसानों को
फसली ऋण से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई।
वर्ष 2019-20 में सहकारी बैंकों का 384
करोड़ का ब्याज अनुदान 150 करोड़ रुपये
की क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान देकर सहकारी
बैंकों को सुदृढ़ किया। 3 वर्षों को अधिक
भण्डारण ~~[illegible]~~ [illegible] ~~लाख 200~~
~~[illegible]~~ व विस्तार [illegible] स्कीम में 4.64
लाख टन व स्कीम में 3.50 लाख हो गया। [illegible]
सहकारी समितियों के माध्यम से [illegible] की गई है।
विकास योजनायें प्रारम्भ की जा चुकी हैं। योजना के
[illegible] कृषक ऋण माफी योजना [illegible] 15 हजार
[illegible] सहकारी ऋण
अन्तर्गत सम्पूर्ण [illegible] क्रेडिट का
करोड़ माफ किया गया है। उपभोक्ता केन्द्रों व किसान
ई-मित्र केन्द्रों से सहकारी ऋण
तुरंत भुगतान, [illegible]
सेवा पोर्टल के माध्यम से समाप्त की गई है।
विश्वास से प्रबंधन [illegible] स्थिति में
सहकारी समितियों की [illegible] में वृद्धि हुई है।
रोजगार हुआ है जन विश्वास को गति मिली है।
सहकारिता प्रकोष्ठ [illegible] प्रशिक्षण को
[illegible] राष्ट्रीय योजनाओं
पुनः [illegible] राष्ट्रीय कृषि ऋण सहायता
में [illegible] राज्य कृषि [illegible]
व [illegible], राज्य सहकारी विकास [illegible] केन्द्रीय
राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय बैंकों के [illegible] हुई।
सहकारी बैंकों [illegible] भूमि विकास बैंक
[illegible] पुनर्गठित विभाग
[illegible] सहकारिता [illegible]

इन सबके बावजूद सहकारी आन्दोलन कमजोर रहा और सरकारी अवस्था बनकर रह गया। सहकारिता सरकारी नियन्त्रण का नाम नहीं है। यह राजनैतिक राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त आम निर्मल आन्दोलन है, जहां जनता ने नेतृत्व किया है सफलता मिली है। स्वायत्ता सहकारीता का प्रमुख तत्व है। राज्य की सहायता का उद्देश्य समितियां नियंत्रण नहीं होना चाहिए।

~~राजकीय अनुदान~~

भारत में अनेक देशों में सहकारी समितियों की स्वायत्ता छीनी है। राजकीय अनुदान व प्रबंधन का तात्पर्य हस्तक्षेप व नियंत्रण नहीं है। देश में सहकारी आन्दोलन के प्रणेता पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था "सहकारिता समितियों पर सरकारी नियन्त्रण और नौकरशाही की बढ़ती प्रवृत्ति को तत्काल समाप्त कर देनी चाहिए। यह जन सामान्य की योग्यता में अविश्वास की सूचक है"।

सहकारी निबन्धक द्वारा असीमित शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। निर्वाचित लक्ष्यों का प्राप्त करने के उद्देश्य से बिना सदस्यों की सहमति प्रशासक की नियुक्ति कर ~~स्वायत्ता~~ समाप्त कर दी जाती है। यह शक्ति सहकारिता के उद्देश्य व सिद्धान्त के विरुद्ध है। सहकारी आन्दोलन की असफलता का प्रमुख कारण है, राजनैतिक कारणों से स्वामियों के हित में निर्णय लिए जाते हैं। निबन्धक की शक्तियों को सीमित

निश्चित की जानी चाहिए निबन्धक की शक्तियों का हस्तान्तरण किया जाना किसानों को हस्तान्तरण चाहिए।

परन्तु

नई आर्थिक नीतियों का लाभ समितियों को मिलनी
चाहिए। उदारीकरण में सहकारी समितियों का महत्व
बढ़ना चाहिए। कृषकों को ऋण के साथ एक्सटेंशन
सर्विसेज मिलनी चाहिए। वंचित व कमजोर वर्ग के
लोगों को पुनः महत्व व प्राथमिकता देनी
चाहिए। सदस्यों व कर्मचारियों को पर्याप्त समय समय पर
प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह
महसूस किया जाना चाहिए कि सहकारी
साख का सामाजिक विकास व समाज चेतना
में भूमिका महत्वपूर्ण है। सशक्त बनाने के लिए,
सहकारी आन्दोलन को प्रभावी बनाने
न्यूनतम करने के लिए को समान रूप से Road
निश्चित की जाय, किसान को प्रभावी बैंक से क्रेडिट मिलना
शर्तों की स्थापना की बैंक, व को वित्त उपलब्ध
चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंक को प्रभावी
करना चाहिए। जिला सेंट्रल व तालुका बैंक स्थापित
बैंक का विकास व साख समितियों में
करना चाहिए। विभाजन किया जाना चाहिए।
समन्वय स्थापित किया जाना सहयोग
पंचायत राज संस्थाओं का लिया जाना चाहिए। दो
सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पदाधिकारियों को पुनः
दो से पुनः पदाधिकारी बनने वाले
नहीं होने चाहिए व सदस्यों को पुनः किया
सदस्यों को Vote का पुनः विचार
जाना चाहिए। सार्वजनिक समितियों से जोड़ा
को उपभोक्ता समितियों व कर्मचारियों के साथ
जाना चाहिए। पदाधिकारियों के साथ
की जिम्मेदारी निश्चित करके हस्तक्षेप न्यूनतम
सरकार का कन्ट्रोल व
किया जाना चाहिए। नाम व पदों

महसूस किया जाता है कि "Cooperatives Movement ने Cooperatives has failed but Cooperative must succeed."

उदारीकरण के इस युग में / देश की ग्रामीण क्षेत्रों की वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थितियों व कृषकों की माली हालात को सुधारने के लिए सहकारी आन्दोलन को सफल बनाने व पुनः विकास की आवश्यकता है।

पंचायत राज से आशय
संवैधानिक भूमिका परिवर्तनक्रम (1)

"महात्मा गांधी ने कहा था "आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिए, हर एक गांव में जमहूरी सल्तनत या पंचायत का राज होगा, उसके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी। गांव में पहला और सब से आखरी दोनों बराबर होंगे या यों कहिए कि न तो कोई पहला होगा, न आखरी। जब तक सामान्य जनता को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं होता तब तक जागीरों, पूंजीपतियों की सत्ता चल सकती है। पंचायत ही जागीरों, पूंजीपतियों की सत्ता ... पंचायत राज में केवल पंचायत की आज्ञा मानी जायगी और। पंचायत अपने बनाये हुए कानून के द्वारा ही अपना कार्य करेगी"

भारत के संविधान की धारा 40 में नीति निदेशक तत्वों में पंचायती राज की धारणा के अन्तर्गत कहा गया है (राज्य) ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठायेगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उनको स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।"

पंचायती राज की इसी धारणा के अन्तर्गत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व. पं. जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारम्भ किया।

वैधानिक

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 एवं राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम 1959 बने व सम्पूर्ण राज्य में लागू किये गये। संविधान संशोधन (73वां संशोधन) 1993 से पंचायती राज संस्थाओं को निश्चितता, निरन्तरता और शक्ति प्रदान करने के लिए उनकी अनिवार्य विशेषताओं को अध्याय रूप में संविधान में ही शामिल किया गया। पंचायत प्रमुख के लिए आरक्षण, महिलाओं के प्रत्यक्ष निर्वाचन, अनुसूचित जनजातियों को प्रत्यक्ष निर्वाचन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण,

1. प्रधानमंत्री राजीव गांधी (2)

(2) अनुसूचित जाति जनजाति के अनुपात में निश्चित कार्यकाल के लिए उनकी ... के लिए 5 वर्ष का

(3) पंचायतों ...

—2

P.T.O

(2)

प्रतिष्ठित होने पर इस आठ के अंतर्गत निर्वाचन, ग्रामीण विकास व सामाजिक न्याय के लिए विकास योजनाओं को बनाना, [illegible] पंचायतों, जिलों का [illegible] [illegible] पंचायत को वित्त के [illegible] लोकतंत्र विधायी व प्रशासनिक हेतु वित्त आयोग की स्थापना (ii) उन विशेष का विकास जिनकी पंचायतों को विशेष स्वायत्त शासन का विकास [illegible] जो उन्हें स्वायत्त शासन प्रणाली [illegible] कार्यों में सक्षम बनाने की [illegible] के रूप में कार्य [illegible] विकास [illegible] के लिए आवश्यक (i) [illegible] संविधान संशोधन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 निर्मित किया गया तो 30 [illegible] 1996 को राजस्थान में लागू किया गया।

विधेयक की विशेषताओं में त्रिस्तरीय पद्धति, ग्राम सभा, उम्मीदवारों की [illegible], [illegible] [illegible] सीटों का महिलाओं की [illegible], [illegible] समिति, [illegible] निर्वाचन, प्रत्यक्ष चुनाव, आयु, [illegible] 5 वर्ष में अनिवार्य निर्वाचन, जिला परिषद की [illegible] ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, [illegible] समिति, [illegible] संरचना, [illegible], जिला प्रशासन [illegible] हेतु [illegible] प्रशासनिक [illegible] व दायित्व, की [illegible] [illegible] प्रस्ताव, [illegible] कार्यवाही (ii) [illegible] प्रस्ताव, पंचायती राज विभाग [illegible] विकास एवं पंचायत कार्यों में प्रशासनीय सहायता, ग्रामीण [illegible] से संचालित कार्यक्रमों प्रशासनीय उद्देश्य के विकास, प्रशासनिक [illegible], ग्रामीण [illegible] कार्यक्रम, ग्रामीण विकास [illegible] कार्यक्रम प्रारम्भ हैं। पंचायती राज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, विकेन्द्रीय वित्तीय प्रशासनिक [illegible] दायित्व, [illegible] उत्तरदायित्व का प्रशासनिक [illegible] व [illegible] निर्माण [illegible] [illegible] हैं।

प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण से प्रजातांत्रिक [illegible] पर लोकप्रिय व [illegible] संस्थाओं का निर्माण हुआ, प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व [illegible] दृष्टि से देखें तो

[illegible] प्रशासन [illegible] में यह एक [illegible] उपलब्धि [illegible] [illegible] [illegible] पर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रशासन [illegible] [illegible] ग्राम [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव 2020.

(1)

भारत जैसे प्रजातांत्रिक तथा प्रभुत्ता सम्पन्न देश में प्रशासन जन सामान्य के प्रति उत्तरदायी होना आवश्यक है ~~जो चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से उसे प्रमाणित करता~~ है। प्रारम्भ में, लोकप्रिय संस्थायें केवल राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर तक सीमित थीं। जिला तथा अनुविभाग स्तरों पर सलाहकार समितियां ~~स्थापित की गई~~ थीं जो ~~बहुत~~ प्रभावरहित थीं। ~~इसीलिए~~ राज्य स्तर के नीचे का प्रशासनिक तंत्र स्थानीय स्तर के ~~अतिरिक्त~~ लोकप्रिय तत्वों से ~~प्रोत्साहित~~ प्रेरणा व लगाव/काम कर रहा था ~~स्थानीय~~ (स्थानीय विकास हेतु) ~~बहुत स्थानीय विकास के लिए ही कार्य करता था~~।

- यह प्रशासनिक तंत्र संरचना-प्रक्रिया का परिवर्तनात्मक कदम// प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीयकरण से ~~वे~~ विभिन्न स्तरों पर लोकप्रिय व प्रतिनिधिक संस्थाओं का निर्माण हुआ और गांवों को विकास सामुदायिक विकास खंडों को उनके प्रभाव लाया। प्रजातांत्रिक दृष्टि से यह उल्लेखनीय प्रगति थी।

राजनीतिक जागृति के लिए यह आवश्यक था कि राजनीतिक व प्रशासनिक तंत्र के पारस्परिक संबंध मधुर बना ~~रहें~~ रहे, संस्थाओं की प्रक्रिया युक्तिसंगत बनाया जाय। राजनीति और प्रशासन की पारस्परिक निर्भरता तनावपूर्ण नहीं हो ~~रहे~~, प्रत्येक पक्ष ~~विरोध रूप से प्रशासन~~ (कठिनाइयों प्रभावों को) ~~पक्ष की स्थापना~~ को दूसरे पक्ष की उलझन नहीं को//

परन्तु पंचायत समिति स्तर के प्रमाणों से स्पष्ट है कि परिवेक्षण, नियंत्रण, समन्वय, प्रशासनिक प्रभाव

1. जमात — Bombay

2. प्रोफेसर

3. JNU

4. O.P.

5.

(2)

(2) प्राकृतिक [illegible] समस्याओं में प्रतिकारियों
और प्रतिकारियों के पारिस्थितिक [illegible]
की समस्या [illegible] है। विकास निर्माण
के [illegible] प्रभाव के कार्यकारी
प्रतिनिधि [illegible] और [illegible]
उन्हें पुनः प्रतिकारियों के [illegible]
[illegible] एक समस्या है और [illegible]
नेतृत्व राजनीतिक [illegible]
प्रशासनिक विकासों के राजनीतिक
[illegible] प्रशासन के विभिन्न कार्यों

(3) पंचायती राज [illegible] में पुलिस [illegible] प्रशासनिक [illegible] प्रशासनिक [illegible] प्रभाव [illegible] के लिए [illegible] प्रभावित होते हैं।

के हस्तक्षेप होता है और [illegible] प्रशासनिक [illegible]
को उत्थान होता है। प्रशासन के [illegible] वैधानिक
को उत्थान हुआ है। प्रशासन की समस्त कार्यक्रम तथा विकास
प्रभाव पड़ा है।

प्रशासनिक कार्यकुशलता के लिए पंचायती राज [illegible]
प्रेरणा ही है। [illegible] समस्या प्रयोजन
प्राथमिक प्रयोजन की [illegible] पर सर्वमान्य है कि
के [illegible] की है और [illegible] वाली प्रतिकारियों
कार्यकर्ताओं का [illegible] और प्रवृत्तियों
व्यक्तियों द्वारा [illegible] [illegible] और [illegible] और दृष्टिकोणों
[illegible] [illegible] प्रक्रिया और [illegible] है।
[illegible] [illegible] प्रावधान [illegible] कार्यकुशलता के लिए
[illegible] प्रतिकारी [illegible] [illegible] कार्यकुशलता [illegible]
[illegible] पंचायती राज [illegible] राजनीतिक हस्तक्षेप [illegible]
[illegible] नहीं है। प्रशासन [illegible] और प्रतिकारियों से [illegible]
[illegible] है। प्रतिकारी [illegible] [illegible] [illegible] वास्तविक [illegible]
प्रशासनिक [illegible] और [illegible] राजनीतिक [illegible] और प्रशासनीय [illegible]
और [illegible] है प्रतिकारी [illegible]
[illegible] प्रावधान [illegible] प्रशासनीय [illegible]
[illegible] कार्य की सीमा में [illegible] प्रशासनिक [illegible]
भूमिका [illegible]। प्रतिकारी [illegible] [illegible] भूमिका [illegible]
कार्य की सीमा [illegible] [illegible]

(3) [illegible]

गांधी जी ने लिखा है

"यदि मानव को जीवित रहना है, यदि मानवता को जीवित रहना है तो [illegible] सत्य व अहिंसा के पथ पर चलना है [illegible] [illegible] शताब्दी के [illegible] को [illegible] महात्मा [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] का [illegible] होना पड़ेगा।

[illegible] 2000 के [illegible] [illegible] [illegible] है कि [illegible] है। [illegible] [illegible] है [illegible] है।

[illegible] [illegible] है।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] रही है

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] होना चाहिए, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] होनी चाहिए।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] में [illegible] राजनीतिक एवं प्रशासनिक [illegible] [illegible] है [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] में [illegible] [illegible] है।

[illegible] होनी चाहिए [illegible] [illegible] होता है तो [illegible] [illegible] होना चाहिए [illegible] [illegible] होता है, [illegible] [illegible] [illegible] होता है [illegible] [illegible] होता है, [illegible] [illegible] होता है

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] होना चाहिए [illegible] [illegible] होना चाहिए [illegible] [illegible] [illegible] चाहिए

P.T.O

OP Sam 8769717717

कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने तो अवैध माइनिंग के लिये खुद मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है। मगर जनता दल (यू) के अध्यक्ष शरद यादव को कहना है कि बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के नेता भी इस खेल में शामिल है जो माफिया को संरक्षण देते हैं और बदले में चन्दा और समर्थन पाते हैं। अब समय आ गया है जब राजनेताओं और अपराधियों की इस मिलिभगत का भंडाफोड कर उस पर कड़ा प्रहार किया जाये ताकि लूट रूके और उसे रोकने वाले नरेन्द्र कुमार सिंह जैसे अधिकारियों का मनोबल न गिरे।

(4)

माफिया कौन है?

मंत्री, सचिव, [illegible]

[illegible]

(5) सामान्य सहायता न देने की प्रवृत्ति आयी है।
छोटे मोटे सुविधाओं और नेता व्यापक आंदोलन है।
राजा महाराजाओं के सामंत व्यवस्था आती है।
इन कार्यालयों में दलितों से पंडालों जोड़ की
स्थानीय स्वच्छंदता/ प्रतिभा के लिए तानाशाहों का
प्रभाव है, यहाँ आवश्यकता नहीं कि दलित
मिलें प्रभावशाली जनता का कोई ऐसे
अधिकारी नहीं जानता, इन कार्यालयों के लिए
ऐसा प्रतिपरीक्षा के समान है।

राजनीतिक नेतृत्व के लिए आलोचना तत्वों का
प्रशासनिक और उनके प्रशिक्षण के लिए कोई
नियोजित प्रयास नहीं है अतः राज्य और जिला स्तर पर
राजनीति में आने वाला नया नेतृत्व न सहकारिता में
जिनके पास जनता के लिए पैसा है, राजनीति का
पूर्ण समाज है, नेतृत्व तो स्थानीय आदि समाज में है
पंचायत, प्रखण्ड, पंचायत समिति सदस्य
के प्रयास पक्ष पर के लोग ग्राम हैं। दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण
इन्हें राजनीति है लोकतंत्र व्यवस्था में जनता के पास पहुँचना है
सेवा कार्य कुछ नहीं है। इस प्रशिक्षा संस्थान
विकास, इतना प्रशिक्षण कठिन नहीं है। अनुपस्थिता सिखाने हेतु
प्रशिक्षण के अलावा सामुदायिक एकता, सामाजिक न्याय, ग्राम स्वच्छता,
सम जिम्मेदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, आदि
प्रवृत्तियों और उनके ज्ञान के उपयोग की समझ, कार्य
समावेश, विकास व सहयोग की भावना को बढ़ाना
निर्वाचित तथा और सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव बढ़ेगा
योजना तथा परियोजना को
संचालन में महत्वपूर्ण होगा।

कार्यालय टिप्पणी
एच.सी.एम. रीपा, जयपुर